गोपनीय

संख्या : 1083 आर/छ-पु-5-2ए.क्यू./90

प्रेषक,

प्रभात कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊः दिनॉकः 31 मार्च, 1992

विषयः आग्नेयास्त्र के नये लाइसेंस जारी करने के संबंध में।

महोदय,

शासन के कोड संख्या-5730 आर(1)/आठ-5, दिनांक 16-12-85 में समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को यह निर्देश दिये गये थे कि शासन के अग्रिम आदेशों तक आयुधों के नये लाइसेंस स्वीकृत न किये जायें। इसमें केवल बैंक, अर्द्धशासकीय एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिये आयुध लाइसेंस स्वीकृत करने की छूट प्रदान की गयी थी। तत्पश्चात् शासन के कतिपय कोड सन्देशों द्वारा समय-समय पर कुछ और श्रेणी के आवेदकों को इन प्रतिबन्धों से छूट प्रदान की गयी।

2- इस विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि उपर्युक्त शासनादेश/शासन के निर्देशों के क्रम में आग्नेयास्त्रों के नये लाइसेंस जारी करने पर लगाए गये प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे परन्तु निम्नांकित श्रेणियों के आवेदकों की प्रार्थनाओं पर प्रदेश तक की सीमा के लिए लाइसेंस जारी करने का निर्णय लाइसेंसिंग प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) द्वारा लिया जायेगा:-

1- बैंक, अर्द्धशासकीय एवं सार्वजनिक संस्थायें तथा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत निजी संस्थायें/प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु यदि उनके द्वारा वास्तव में सुरक्षा कर्मी नियुक्त किये जाते हैं।
2- मृतक लाइसेंसियों के उत्तराधिकारी।
3- विधान सभा/विधान परिषद तथा संसद सदस्य जिनका आपराधिक इतिहास न हो।
4- पुलिस सैनिक तथा अर्द्ध सैनिक बलों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कस्टम, सेन्ट्रल एक्साइज विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो छापे डालने तथा तस्करों आदि को पकड़ने से संबंधित हों।
5- ऐसे आवेदक जिनके यहां डकैती पड़ जाती है या लूट हो जाती है अथवा हत्या हो जाती है या अन्य कोई जघन्य अपराध हो जाता है जिसके फलस्वरूप संबंधित व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है।

6- ऐसे व्यक्ति (लाइसेंसी) जो अपनी वृद्धावस्था के कारण अथवा शारीरिक असमर्थता के कारण शस्त्र रखने अथवा चलाने योग्य नहीं रह जाते हैं उनके वारिसों के मामले।

7- शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों जिन्हें अपने कर्तव्यों की प्रकृति के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आग्नेयास्त्र रखने की आवश्यकता है।

3- उपर्युक्त 7 श्रेणियों के अतिरिक्त शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन आवेदकों के पास पहले से कोई शस्त्र लाइसेंस न हो उन्हें भी दिनांक 16.12.85 द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध से मुक्त रखते हुए निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन के वल एक शस्त्र लाइसेंस मण्डल की सीमा तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है :-

क- आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास न हो।

ख- इस श्रेणी के आवेदकों को राइफल का लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

ग- अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में इस श्रेणी के आवेदकों को आतंकवाद से प्रभावित जनपदों (नैनीताल, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, बरेली, शाहजहॉपुर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, देहरादून एवं हरिद्वार) में जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा राइफल लाइसेंस स्वीकृत किया जा सकेगा।

घ- इस श्रेणी के आवेदकों को लाइसेंस केवल जिला मजिस्ट्रेट ही जारी करेंगे व शक्तियों का प्रतिनिधायन नहीं किया जायेगा।

4- उपरोक्त 8 श्रेणियों के आवेदकों के प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण किये जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे आवेदकों के प्रार्थना-पत्रों पर जिला मजिस्ट्रेट गहराई से छानबीन कर व स्वयं सन्तुष्ट होने के पश्चात् आयुध अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुये अनिषिद्ध बोर (आयुध नियमावली की अनुसूची-2 की श्रेणी 1 (बी) एवं 1 (सी) को छोड़कर) के लाइसेंस स्वीकृत करने संबंधी प्रार्थना-पत्रों पर स्वयं ही निर्णय ले लें। ऐसे आवेदकों के प्रसंग राज्य सरकार को अनापत्ति हेतु संदर्भित न किये जायें। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि अपात्र एवं अवांछनीय व्यक्तियों को आग्नेयास्त्र लाइसेंस न प्राप्त हो सकें।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

(प्रभात कुमार)
प्रमुख सचिव, गृह।

संख्या : 1083 आर(1)/छ-पु-5-2ए.क्यू./90

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- गृह (पुलिस) अनुभाग-13 को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

आज्ञा से,

(एस0 के0 रिजवी)
विशेष सचिव।